न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 72/2016
वाद दायरी दिनांक : 30/05/2016
निर्णय दिनांक : 12/4/2017

श्रीमती बीना पुत्री मंगला, जाति शर्मा, निवासी साली, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

— वादीया

बनाम

तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादी

वाद दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति – श्री नारायणसहाय पारीक
विद्वान अधिवक्ता वादीया

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 12/4/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद–पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीया स्वर्गीय मंगलचन्द, मंगला की जायन्दा एकमात्र् वारिस हैं तथा वादीया का नाम बीना था लेकिन स्वर्गवास के पश्चात जों विरासत का नामान्तरकरण खोला गया उसमें बीना के बजाय घीसी दर्ज कर दिया गया। स्वर्गीय मंगला की खातेदारी भूमि वाके ग्राम साली तहसील दूदू में स्थित है, खसरा नम्बर 495, 527, 530, 612, 613, 616, 667, 683, 892, 895, 1598, 1599, 1603, 1604, 1605, 1606, 1637 कुल किता 18 कुल रकबा 9.2400 हैक्टेयर भूमि है, जिसमें वर्तमान में वादीया 1/3 हिस्सा जो जरिये विरासत प्राप्त हुई है, लेकिन विरासत के नामान्तरकरण के समय बीना की जगह घीसी दर्ज कर दिया गया है, जो गलत हैं। इसकी जानकारी होने पर प्रार्थीया/ वादीया द्वारा कई बार प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क किया तो कई बार आश्वासन ही देते रहे लेकिन अभी हाल ही में दिनांक 24/05/2016 को आपके द्वारा कार्यक्रम साली कैम्प में आवेदन पेश किया तो दुरूस्ती इन्द्राज का वाद पेश करने की नेक सलाह दी, जिससे वाद विरूद्ध प्रतिवादी दुरूस्ती इन्द्राज का पेश किया जाना लाजिमी हुआ हैं।

Scanned by CamScanner

वादीया ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीया का नाम घीसी पुत्री मंगला की बजाय बीना पुत्री मंगला दर्ज किया जावें एवं इस आशय की तहरीर प्रतिवादी संख्या 1 को भिजवायी जावें तथा रिकार्ड में अमल दरामद कर पालनार्थ रिपोर्ट भिजवायी जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। दिनांक 08/03/2017 प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया। वकील वादीया साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादीया एवं पैरोकार की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत पांचवा, शपथ–पत्र बीना, मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 24/05/2016, शादी कार्ड, राशनकार्ड, आधार कार्ड तथा तहसीलदार दूदू द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 789 में वादीया का नाम घीसी पुत्री मंगला दर्ज है, जबकि वादीया ने अपने वाद–पत्र में अपना सही नाम बीना पुत्री मंगला होना बताया है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र क्रमांक RJ/25/195/117930 में बीनादेवी पत्नि हणमानप्रसाद दर्ज है। वादीया द्वारा प्रस्तुत जॉबकार्ड संख्या 46 जो कि ग्राम पंचायत पांचवा पंचायत समिति कुचामनसिटी, जिला नागौर द्वारा जारी किया गया है। उसमें वादीया का नाम बीनादेवी पत्नि हनुमानप्रसाद दर्ज है। इसी प्रकार वादीया द्वारा प्रस्तुत 12 अंकीय राशन कार्ड 008383300140 में वादीया का नाम बीनादेवी पत्नि हनुमानप्रसाद दर्ज है। वादीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड क्रमांक 4039/0872/2985 में वादीया का नाम बीनादेवी पत्नि हनुमानप्रसाद दर्ज है। ग्राम पंचायत पांचवा पंचायत समिति कुचामनसिटी, जिला नागौर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में यह अंकित किया गया है कि " श्रीमति बीनादेवी पत्नि हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण जो ग्राम भैरूपुरा पोस्ट पांचवा की रहने वाली है। बीनादेवी एवं घीसी देवी पत्नि हनुमान प्रसाद पुत्री मगंलचन्द दोनो नाम एक ही के है।" वादीया द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में वादीया ने अपने कथन की ताईद की है। फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का साली दिनांक 24/05/2016 से यह स्पष्ट होता है कि बीनादेवी व घीसी एक ही व्यक्ति है।

Scanned by CamScanner

वादीया द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड संख्या 44 दिनांक 21/03/1980 की छायाप्रति से सुस्पष्ट है कि बीनादेवी, मंगलचन्द की पुत्री है। वादीया द्वारा प्रस्तुत विवाह कार्ड से यह स्पष्ट है कि वादीया मंगलचन्द की पुत्री है एवं हनुमानप्रसाद की धर्मपत्नि हैं। चूंकि ग्राम पंचायत पांचवा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र व पटवारी हल्का साली की फर्द मौका रिपोर्ट से यह सुस्पष्ट है कि वादीया का कथन सही व सत्य है कि वह घीसीदेवी के नाम से जानी जाती थी जिसके कारण वक्त नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा वादीया का नाम जो दस्तावेजों में बीनादेवी है के स्थान पर प्रचलित नाम घीसीदेवी से नामान्तरकरण खोल दिया गया, जो कि परिवर्तन किये जाने योग्य प्रतीत होता है। पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के पैरा संख्या 9 से यह स्पष्ट किया गया है कि बीनादेवी व घीसीदेवी एक की व्यक्ति है एवं ग्राम साली के खाता संख्या 789 में किता 18 रकबा 9.24 हैक्टेयर पर घीसी उर्फ बीना पुत्री मंगला जाति ब्रह्मण हिस्सा 1/3 दर्ज किया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में वादीया का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 495, 527, 530, 612, 613, 616, 667, 683, 892, 895, 1598, 1599, 1603, 1604, 1605, 1606, 1637 कुल किता 18 कुल रकबा 9.2400 हैक्टेयर भूमि में दर्ज खातेदार घीसी पुत्री मंगला को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर श्रीमती बीना पुत्री मंगला दर्ज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12-4-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

यूनिक ट्रेडर्स, 250, चौड़ा रास्ता, जयपुर

डिग्री मुकद्दमा इन्तहाई आन्तिम डिग्री

(ऑ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू

बइजलास श्री त्रिलोकचन्द मीना (R.A.S)

श्रीमति वीनाबा0 मंगला शर्मा निवासी बनाम बटवाड़ा दूदू

दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज

मुकद्दमा नं. 72/2011 सन्

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू श्री नारायण सहाय पारीक एडवो.

व हाजरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू पैरोकार

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र डिग्री किया जाकर वाकामेल आराजी ख0नं0 495, 527, 530, 612, 613, 616, 667, 683, 892, 895, 1598, 1599, 1603, 1604, 1605, 1606, 1637, कुल किता 18 कुल रकबा 9.24 है0 भूमि में दर्ज खातेदार बीनी पुत्री मंगला को हटाया किया जाकर उसके स्थान पर श्रीमति बीना पुत्री मंगला दर्ज किया जाता है।

निजी मुतालिक बाबत

खर्चा इस मुकद्दमे का मय सूद वगैरह फीसदी सालाना आज की तारीख

वसूलियाब तक को अदा करें।

बतहत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12-04-2012 सन् को जारी किया गया।

दस्तखत

मोहर मोहर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प दस्तावेज सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner